Not to be filled by the Candidate
(अभ्यर्थी द्वारा नहीं भरा जाये)

Total Pages- 24

Time : 2 Hours समय : दो घंटे	Maximum Marks : 50 पूर्णांक : 50

महत्त्वपूर्ण निर्देश / IMPORTANT INSTRUCTIONS

1. अपेक्षित विवरण केवल "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" के ऊपर दिये गये फ्लेप पर ही लिखें, अन्य किसी स्थान पर नहीं।
2. "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" (रफ कार्य के पृष्ठ सहित) के अन्दर कहीं पर भी कोई पहचान चिन्ह यथा, रोल नम्बर, नाम, पता, मोबाईल नम्बर / टेलीफोन नम्बर, देवताओं के नाम अथवा किसी भी प्रश्न के उत्तर से असंबंधित शब्द, वाक्य एवं अंक लिखे जाने या अंकित किये जाने को अनुचित साधनों का उपयोग माना जायेगा। ऐसा पाये जाने पर अभ्यर्थी की सम्पूर्ण परीक्षा में अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
3. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर व्यवधान उत्पन्न करता है या वीक्षण स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करता है अथवा वंचनापूर्ण कार्य करता है तो वह स्वयं ही अयोग्यता के लिए उत्तरदायी होगा। वह राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के तहत दाण्डिक कार्यवाही हेतु भी उत्तरदायी माना जायेगा।
4. प्रश्नों की संख्या और उनके अंक "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" में अंकित किये गये हैं।
5. प्रश्नों के उत्तर "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" में प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिये गये स्थान पर ही लिखें कहीं और नहीं, अन्यथा ऐसे उत्तर का मूल्यांकन परीक्षक द्वारा नहीं किया जायेगा।
6. अभ्यर्थी अपने उत्तर निर्धारित जगह से अधिक में नहीं लिखें। किसी भी परिस्थिति में पूरक उत्तर पुस्तिका नहीं दी जायेगी।
7. प्रश्न द्वारा अपेक्षित भाषा, अंग्रेजी या हिन्दी में ही उत्तर दीजिये।
8. यदि "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" कहीं से कटी–फटी या अमुद्रित है, तो अविलंब वीक्षक के ध्यान में लाकर उसे बदलवा लें अन्यथा उसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा।
9. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र के साथ प्रवेश करना सर्वथा वर्जित है।

* * * * *

1. Write the required particulars only on the flap provided on the top of "Question Paper-cum-Answer Book"; and not at any other place.
2. Do not write any mark of identity inside the "Question Paper-cum-Answer Book" (including paper for rough work) i.e. Roll No., Name, Address, Mobile No./Telephone No., Name of God etc. or any irrelevant word other than the answer of question. Such act will be treated as unfair means. In such a case the candidature of the candidate shall be rejected for the entire examination.
3. If a candidate is found creating disturbance at the examination centre or misbehaving with Invigilating Staff or cheating will render him liable for disqualification. He shall also be liable for penal action under The Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 1992.
4. The number of questions to be attempted and their marks are indicated in the "Question Paper-cum-Answer Book".
5. The answers of the questions should strictly be written in the space provided below question and not elsewhere, otherwise, such answer shall not be assessed by the examiner.
6. Candidates do not write the answers beyond the space prescribed. No Supplementary Answer Book shall be provided in any case.
7. Attempt answer only in the language, English or Hindi, as required by the question.
8. In case the "Question Paper-cum-Answer Book" is torn or not printed properly, bring it to the notice of Invigilator for change, at earliest otherwise the candidates will be liable for that.
9. Possession of any electronic device is strictly prohibited in the Examination Hall.

Note:-Attempt all the 05 questions. Each question carries 10 marks.

नोटः–समस्त 05 प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न हेतु 10 अंक निर्धारित हैं।

Question No. 1: **(10 Marks)**

Translate the following passage in Hindi.

नीचे दिये गए लेखांश का हिन्दी में अनुवाद कीजियेः–

"Though the Vedas were considered as the source of Dharma (law), the Smritis constituted the codified substantive civil and criminal law and procedural law of the ancient Indian legal system. But law could not remain static. Some scope was left for this purpose by the provisions of the Smritis which said that apart from the Shruti and the Smritis, the good customs and what was agreeable to men of virtuous conduct were also the sources of law. This gave scope for developing usages and customs by the people which ultimately got assimilated into the legal system and modified the earlier laws on certain topics. The later smriti writers, who were sages of great eminence like their predecessors, did modify the provisions of the earlier Smritis and made such modifications as part of the Smriti law. Instances of changes so brought about are pointed out later while dealing with the relevant topics. At some point of time the long line of Smriti writers came to an end. Thereafter the law had to grow and modify only through other works, such as commentaries and digests written by eminent jurists. This was practically the only device for the development of law. The reasons are obvious. The Smritis continued to be the basic law of the Indian legal system. The king (State) was not invested with any legislative power. Therefore the Smritis which held the sacred and authoritative position could not be amended by the State. In such a situation, owing to the compelling circumstances of changing society, jurists resorted to modifying and adopting the law through the device of interpretation. The deep knowledge of the Vedas and Dharmasastras of the commentators and the respect commanded by them in the society by their virtuous conduct and the forceful interpretation they gave to the provisions of the Smritis in the light of the needs of the changing society, made their commentaries acceptable to the people and enforceable by the king. Asahaya who wrote the commentary on Naradasmriti was the pioneer in

this direction. Thereafter a large number of commentators took up such work which brought into existence the most merited commentaries which have been dwelt upon earlier. The last of such commentaries was Viramitrodaya of Mitra Misra. These commentators did not consider themselves bound by the orthodox views and were free from prejudices. They struck a balance between the age-old constraints of the orthodox view and the growing needs of modern progressive society."

Question No. 2: **(10 Marks)**

Translate the following passage in English.

नीचे दिये गये लेखांश का अंग्रेजी में अनुवाद कीजियेः–

"यहां आने से पहले, जब मैं चीजों के बारे में उस तरह से नहीं सोचती थी, जिस तरह से अब सोचती हूं, तो मैं अक्सर महसूस किया करती थी कि मम्मी, पापा और मार्गोट से मेरा कोई नाता नहीं है और हमेशा बाहरी व्यक्ति ही बनी रहूंगी । कई बार तो छः–छः महीने तक मुझे यही लगता रहता कि मैं अनाथ हूं । तब मैं खुद को सचमुच अनाथ की भूमिका में देखने लगती, जब मैं सचमुच अपने–आपको ऐसा समझने के लिए बुरी तरह कोसती । इसके बाद मैं जबरदस्ती दोस्ती का भाव लाने की कोशिश करती । हर सुबह जब मैं सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनती, मैं उम्मीद करती कि ये मम्मी होंगी । वे आते ही गुड मार्निंग कहेंगी । मैं उनसे लाड़ लड़ाते हुए नमस्ते करूंगी । इसकी वजह यह थी कि मैं उनकी निगाह में स्नेह छलछलाता देखना चाहती थी। लेकिन होता ये था कि वे किसी न किसी बात का बतंगड़ बनाकर मुझे फटकार देतीं और जब मैं स्कूल के लिए निकलती तो पूरी तरह से हताश और निराश होती । स्कूल से वापिस आते समय भी मैं यही सोचते हुए लौटती कि चलो जाने दो । मम्मी बेचारी को भी तो कितनी समस्याऐं और चिंतायें हैं । मैं घर पर बहुत अच्छे मूड में आती, दुनिया भर की बक–बक की पिटारी लिये, लेकिन सुबह की घटनायें एक बार फिर से होने लगतीं और मैं जब कमरे से निकलती तो मेरे एक हाथ में मेरा बस्ता होता और चेहरे पर हवाइयां उड़ रही होतीं। चेहरा लटकता रहता । कई बार मैं तय करती कि मैं यूं ही रूठी ही रहूंगी लेकिन मेरे पास बताने के लिए स्कूल की इतनी सारी बातें होती कि मैं अपना निश्चय भूल जाती और मम्मी जो कुछ भी कर रही होतीं–उन्हें रोकने को कहती और मेरी बात ध्यान से सुनने पर मजबूर करती । तब एक बार फिर वह समय आता जब मैं सीढ़ियों पर कदमों की आहट न सुनना चाहती ओर हर रात तकिये में सिर छुपाए रोती रहती ।

यहां सारी चीजें बद से बदतर होती चली गयी हैं । तुम्हें तो सब कुछ पता ही है, ईश्वर मुझ पर मेहरबान हुआ है और किसी को मेरे लिए भेज दिया है, मैं अपना पैंडेंट सहलाती हूं, उसे अपने होंठों के पास लाती हूं और सोचती हूं, 'मुझे क्या परवाह, पीटर मेरा है और यह बात किसी को भी पता नहीं', इस बात को ध्यान में रखकर मैं किसी भी फतवे या ऊल–जुलूल टिप्पणी का मुकाबला कर सकती हूं, यहां कौन इस बात का शक कर सकेगा कि इस बित्ते भर की छोकरी के दिमाग में क्या चल रहा है ?"